

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, कोरिया वनमण्डल, बैकुण्ठपुर

Ph.No.:- (O)07836-232227, (R)232230, (F)233564 EMail:- dfo.korea_bkp@yahoo.co.in

क्रमांक/तक.क./ 246
प्रति,

बैकुण्ठपुर, दिनांक 12 / 02 / 2021

मुख्य वन संरक्षक
सरगुजा वृत्त अम्बिकापुर
विषय :- Diversion of forest land for non-forest purpose under forest conservation Act, 1980 proposed for Bharat net phase -II "korea division" Bharat Net project which is a GOI initiative Under this project, connectivity will be provided at 5987 GPS & 85 Block through optic fiber cable laying of approximately 32466 km the laying of optical fiber cable of 32466 km will involve 26 district across the state, area - 4.746 ha. regarding.

पंजीयन क्रमांक FP/CG/OFC/42158/2019

- संदर्भ :-
1. उप सचिव छ0ग0 शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग मंत्रालय रायपुर का पत्र क्रमांक/एफ-5-24/2020/10-2 दिनांक 29.01.2021
 2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.सं.अ.) छ0ग0 रायपुर का पृ0 क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध/115-816/361 दिनांक 10.02.2021
 3. आपका पत्र क्रमांक/मा.चि./792 दिनांक 12.02.2021

— ४०-४० * ७२-७२ —

विषयांतर्गत आपके उपरोक्त संदर्भित पत्र क्रमांक 3 के परिपेक्ष्य में प्रतिवेदन है कि उप सचिव महोदय छ0ग0 शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय रायपुर के उपरोक्त संदर्भित पत्र क्रमांक 1 द्वारा प्रकरण के संबंध में वांछित बिन्दुवार अतिरिक्त जानकारी निम्नानुसार है :-

1. प्रस्तावित मार्गों को आवेदक विभाग के साथ संयुक्त रूप से दिनांक 09.07.2020 को स्थल निरीक्षण किया गया था, किन्तु पृष्ठ क्रमांक 76 में वर्णित सोनहत ब्लॉक के 07 मार्ग जो गुरुघासीदास राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से 10 कि0मी0 की परिधि में स्थित है, उसमें आवेदक विभाग के संयुक्त प्रमाण - पत्र की आवश्यकता नहीं होने के कारण हस्ताक्षर नहीं कराये गये हैं, एवं इस बिन्दु के परिपेक्ष्य में संयुक्त प्रमाण - पत्र का उल्लेख भी वनमण्डल स्तर से नहीं किया गया है। सुलभ संदर्भ हेतु पृष्ठ क्रमांक 76 की छायाप्रति संलग्न है।
2. प्रस्तावित मार्गों में से गैर वानिकी कार्य क्षेत्र के अंतर्गत 07 मार्ग जो गुरुघासीदास राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से 10 कि0मी0 की परिधि में स्थित है, तत्संबंध में संचालक गुरुघासीदास राष्ट्रीय उद्यान बैकुण्ठपुर के पत्र क्रमांक/मा.चि./288 दिनांक 12.02.2021 द्वारा यह जानकारी

दी गई है कि आज की स्थिति में 10 कि०मी० की परिधि में Eco - Sensitive Zone अधिसूचित नहीं है। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा यह भी लेख किया गया है कि गुरुघासीदास राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से 07 कि०मी० की परिधि में Eco - Sensitive Zone अधिसूचित करने का प्रस्ताव अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) छ०ग० रायपुर को उनके पत्र क्रमांक/1483 दिनांक 06.06.2017 द्वारा प्रेषित किया गया है। सुलभ संदर्भ हेतु पत्र की छायाप्रति संलग्न है।

Government of India Ministry of Environment and Forest Wildlife Division New Delhi के पत्र क्रमांक FNo.6-10/2011 WL Dated 19-12-2012 द्वारा जारी गाईड लाईन के पैरा क्रमांक 3.5.1 अनुसार राष्ट्रीय उद्यान, वन्य प्राणी एवं सेंचुरी के 10 कि०मी० की परिधि में Eco - Sensitivity Zone होने की स्थिति में पर्यावरणीय स्वीकृति National Board of Wildlife से लिया जाना है। सुलभ संदर्भ हेतु पत्र की छायाप्रति संलग्न है।

अतः उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन अभिलेख सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न सम्प्रेषित है।

संलग्न :-

1. पृष्ठ क्रमांक 76 की छायाप्रति।
2. संचालक गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान बैकुण्ठपुर के पत्र दिनांक 12.02.2021 की छायाप्रति।
3. Government of India Ministry of Environment and Forest Wildlife Division New Delhi के पत्र क्रमांक FNo.6-10/2011 WL Dated 19-12-2012 की छायाप्रति।

पृष्ठां. क्रमांक/तक.क/
प्रतिलिपि :-

वनमण्डल अधिकारी
कोरिया वनमण्डल बैकुण्ठपुर
बैकुण्ठपुर, दिनांक / / 2021

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) छ०ग० नया रायपुर को सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ०ग० इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी, सेकेण्ड फ्लोर एस.डी.सी. भवन सिविल लाईन्स रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

वनमण्डल अधिकारी
कोरिया वनमण्डल बैकुण्ठपुर